न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/11/2022

ताराचन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी बिजैशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, नगर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 15.03.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ताराचन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी बिजैशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2022 उपखण्ड अधिकारी, नगर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/76 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचना उपखण्ड अधिकारी, नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नगर से उक्त बिन्दुओं की सूचना दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है, जो गम्भीर विषय है। उपखण्ड अधिकारी, नगर से जबाव प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे साथ ही हिदायत दी जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों को, गम्भीरता से लिया जावे व उनका नियत समयावधि में निस्तारण की कार्यवाही की जावें।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, नगर को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर